संख्या-79/2025//001-677-23-12-2025-1873802

प्रेषक

रिपुन्जय गुप्ता,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ दिनांक 03 जून, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में रोड सेफ्टी योजनान्तार्गत दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य हेतु विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 12 चालू कार्यों पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-14272/CE-HQ1/RS/LKO/2025-26 दिनांक 27.05.2025, पत्र संख्या-14279/CE-HQ1/RS/BAR/2025-26 दिनांक 27.05.2025, पत्र संख्या-14280/CE-HQ1/RS/BAN/2025-26 दिनांक 27.05.2025, पत्र संख्या-14309/CE-HQ1/RS/BAN/2025-26 दिनांक 28.05.2025, पत्र संख्या-14310/CE-HQ1/RS/AZM/2025-26 दिनांक 28.05.2025, पत्र संख्या-14315/CE-HQ1/RS/KNP/2025-26 दिनांक 28.05.2025 तथा पत्र संख्या-14316/CE-HQ1/RS/LKO/2025-26 दिनांक 28.05.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रोड सेफ्टी योजनान्तार्गत दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य हेतु अधोलिखित तालिका में अंकित 12 चालू कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रू0 रू0 266.18 लाख (रूपये दो करोड़ छियासठ लाख अठारह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण व शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	मुख्यालय का पत्रांक एवं दिनांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य का नाम /मार्ग का कोड	मूल स्वीकृति का शासनादेश व दिनांक	स्वीकृत मूल लागत/ प्रावैधिक स्वीकृत लागत	अब तक आवंटन	बचत समायोजन के पश्चात अवशेष	क्षेत्र से प्राप्त मांग	प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	14272/CE-HQ1/RS/LKO/2025-26 दिनांक 27.05.2025	नि.ख.-2 लखनऊ	रोड सेफ्टी के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में गोसाईगंज-बनी-मोहान मार्ग (एस0एच0-136) पर वर्ष 2021 में चिन्हित हरौनी ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षात्मक कार्य। 205031	33/2025/001-1310-23-12-2024-23-12099-099-114-2024-दिनांक-31-01-2025	81.33	40.66	31.19	27.60	**9.63**
2		नि.ख.-2 लखनऊ	रोड सेफ्टी के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में गोसाईगंज-बनी-मोहान मार्ग (एस0एच0-136) के कि0मी0 43.000 से 44.000 तक हरौनी (नरायनपुर) में चिन्हित 01 नं0 ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षात्मक कार्य। 205032	33/2025/001-1310-23-12-2024-23-12099-099-114-2024-दिनांक-31-01-2025	54.14	27.00	19.93	17.58	**3.68**
3		प्रा.ख. लखनऊ	अयोध्या मार्ग पर स्थित ब्लैक स्पॉट बी0डी0डी0 कट-क्राउन माल के सुधार का कार्य।	02/2025/001-1203-23-12-2024-23-12099-002-16-2024-	78.77	39.39	26.38	23.09	**6.64**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

			185282	दिनांक-01-01-2025					
4		प्रा.ख. लखनऊ	लखनऊ कानपुर मार्ग पर स्थिति बर्लिंग्टन चौराहे के सुधार का कार्य 207606	39/2025/001-1331-23-12-2024-23-12002-001-6-2024 - दिनांक-07-02-2025	70.90	35.45	6.96	4.84	**0.04**
5	14279/CE-HQ1/RS/BAR/2025-26 दिनांक 27.05.2025	नि.ख.-1 पीलीभीत	जनपद पीलीभीत में नि0ख0-1 के अन्तर्गत् बरक्षेड़ा दौलतपुर उगनपुर सुहास मार्ग (अन्य जिला मार्ग) पर पड़ने वाले 04 चैराहे (चै0 10.10, 8.00, 13.30, 17.30) एवं 20 टी-जंक्शन (चै0 0.00, 0.50, 0.70, 1.40, 2.60, 3.20, 3.70, 4.20, 4.80, 5.20, 5.40, 6.00, 7.00, 7.60, 10.60, 10.80, 11.30, 14.30, 14.80, 19.00) पर सड़क सुरक्षा का कार्य। 205063	35/2025/001-1254-23-12-2024-23-12099-099-107-2024-दिनांक-31-01-2025	88.73	19.36	51.47	40.00	**24.85**
6	14280/CE-HQ1/RS/BAN/2025-26 दिनांक 27.05.2025	नि.ख.-1 चित्रकूट	जनपद चित्रकूट में खोह मानिकपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के कि0मी0 17 से 19 के मध्य स्थित ब्लैक स्पॉट काली पहाड़ी के सुधार हेतु चैनेज 17, 17.9 एवं 18.1 पर सेफ साइट डिस्टेंस बढ़ाने हेतु सुरक्षात्मक कार्य। 205028	33/2025/001-1310-23-12-2024-23-12099-099-114-2024-दिनांक-31-01-2025	96.11	27.10	62.51	58.03	**33.67**
7	14309/CE-HQ1/RS/BAN/2025-26 दिनांक 28.05.2025	नि.ख.-1 बांदा	अतर्रानगर क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 35 एवं राज्य मार्ग 71 के तिराहों के सुधारीकरण का कार्य 210015	62/2025/001-340-23-12-2025-1865682-दिनांक-27-03-2025	89.11	1.00	87.66	83.23	**60.06**
8		नि.ख.-1 बांदा	ओरण नगर क्षेत्र में स्थित राज्य मार्ग 113 एवं प्रमुख जिला मार्ग 50 बी के तिराहे के सुधारीकरण का कार्य 210043	62/2025//001-340-23-12-2025-1865682-दिनांक-27-03-2025	58.60	0.70	54.45	51.69	**36.87**
9	14310/CE-HQ1/RS/AZM/2025-26 दिनांक 28.05.2025	नि.ख. बलिया	जनपद बलिया के निर्माण खण्ड के अन्तर्गत टेगरही से जयप्रकाश नगर (अन्य जिला मार्ग) मार्ग पर कैश बैरियर लगाने एवं अन्य सड़क सुरक्षा का कार्य। 185105	14/2025/001-1368-23-12-2024-23-12099-099-120-2024-दिनांक-17-01-2025	307.18	153.59	153.37	138.02	**61.21**
10	14315/CE-HQ1/RS/KNP/2025-26 दिनांक 28.05.2025	प्रा.ख. फतेहगढ़	जनपद फर्रूखाबाद में प्रा0खं0 के अन्तर्गत फतेहगढ़ गुरसहायगंज मार्ग (राज्य मार्ग) पर पड़ने वाले 01 चौराहे (चै0 0.000) एवं 03 टी-जंक्शन (चै0 4.800, 12.500, 14.700) पर सड़क सुरक्षा का कार्य। 185196	18/2025/001-1255-23-12-2024-23-12099-099-106-2024-दिनांक-17-01-2025	29.79	0.34	27.32	22.00	**18.38**
11		नि.ख.-1 कानपुर देहात	भोगनीपुरघाटमपुर चौडगरा मार्ग (राज्य मार्ग-46) के किमी0 13, 14, 17 व 18 में रोड सेफ्टी के अंतर्गत लघु कालिक सुधार कार्य। 210028	62/2025/001-340-23-12-2025-1865682-दिनांक-27-03-2025	8.80	0.88	7.89	7.45	**5.25**
12	14316/CE-HQ1/RS/LKO/2025-26 दिनांक 28.05.2025	नि.ख.-1 खीरी	सिसैया धौरहरा निघासन पनिला धनौराघाट पूरनपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-101) के किमी0 13 में (हरदुआ नाला) चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य। 185212	18/2025/001-1255-23-12-2024-23-12099-099-106-2024-दिनांक-17-01-2025	39.70	19.85	17.81	15.93	**5.90**
								योग	**266.18**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1- विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

3- प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की समस्त शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के आनलाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/ 2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के संबंध में वित्त (लेखा) अनु0-2 के कार्यालय ज्ञाप स0-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

7- विभागीय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

8- प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

9- परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्तां (मु०-1), लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढ़ोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली क्षेत्रीय अभियन्ताओं आदि के वेतन से की जायेगी।

10- उपरिलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

11- उपरोक्त उल्लिखित कार्य के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 2,66,18,000 (रूपये दो करोड़ छियासठ लाख अठारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371400 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पाट का सुधार, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
रिपुन्जय गुप्ता
उप सचिव

पृ0संख्या-79/2025//001-677(1)-23-12-2025-1873802-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4. प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सडक), लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. सम्बन्धित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
9. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
10. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11. अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12. नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रिपुन्जय गुप्ता)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।